



मूल वाद में डिग्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम कोर्ट) चल्कोई कनिष्ठान

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल हैनी

उनका

रुकावत

बनाम

राजसूयन सरकार

नाम हैनी

सूचना नम्बर :- 125/2021

निर्णय दिनांक :- 29.11.2021

वादी की ओर से हैनी

को व प्रतिवादी की ओर से राजसूयन सरकार

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.11.2021 को

श्री राहुल हैनी

निम्न पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चूरु के सामने उपरोक्त विषयों के

विषय प्रस्तुत होने पर आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती है कि -

किता जाका मुक्ति 2000 रोड गांव चल्कोई कनिष्ठान के पास

नं. 12 पर राजसूयन के स्थान पर रुकावत हैनी

राजसूयन को जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा मकान, प्लॉट

उभयानुसार राजसूयन रिकॉर्ड में डायग्नोसिस करके नाम हैनी के

सम्बन्ध में कोई किता उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी वादी की होगी।

खर्चा पक्ष-कारण के अनुसार अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय को मुद्रा लगाकर

दिया गया है।

29/11/21  
(राहुल हैनी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

रुकावत

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प		प्लॉट की फीस	
4. ... रुपय पर प्लॉट की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह खर्च	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-खर्च		आदेशिका की तामीत	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



नॉ-क. 1192  
29-11-21